न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला–पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 87 / 2024

प्रार्थीया

1. गेरी देवी पत्नी गोपुराम जाति मेघवाल निवासी खींवल तह0 रायपुर जिला ब्यावर राज0।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. अन्तर कंवर पत्नी नारायण सिंह जाति राजपुत निवासी कनवेरात तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द हाल निवासी बड़ागुड़ा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान ।
2. अशोक सिंह पुत्र श्री डाऊसिंह जाति रावत निवासी दादी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
3. इन्द्रा देवी पत्नी श्री शेर सिंह जाति रावत निवासी गजनाई तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान ।
4. इन्द्रा देवी पुत्री श्री ढगलाराम जाति सीरवी निवासी सारंगवास तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
5. ईश्वरसिंह पुत्र श्री डाऊसिंह जाति रावत निवासी दादी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान ।
6. कंचन देवी पुत्री श्री शेरसिंह जाति रावत निवासी गजनाई तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान ।
7. कानसिंह पुत्र श्री नाथुसिंह जाति रावत निवासी दादी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान ।
8. खुमसिंह पुत्र श्री नाथुसिंह जाति रावत निवासी दादी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
9. चम्पा देवी पुत्री श्री ढगलाराम जी जाति सीरवी निवासी सारंगवास तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान ।
10. चौहान मिश्रासिंह पुत्र श्री भूरसिंह जाति रावत निवासी लाखा का खेत गजनाई तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
11. चौहान सोहनसिंह पुत्र भूरसिंह जाति रावत निवासी लाखा का खेत गजनाई तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
12. जगदीश पुत्र श्री ढगलाराम जी जाति सीरवी निवासी सांरगवास तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान ।
13. जेठसिंह पुत्र श्री रूपसिंह जाति रावत निवासी गजनाई तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
14. जमकु देवी पत्नी श्री लक्ष्मणसिंह जाति रावत निवासी गजनाई तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान ।
15. नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री शेरसिंह जाति रावत निवासी गजनाई तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
16. नरेन्द्रसिंह चौहान पुत्र श्री पुनमसिंह चौहान जाति रावत निवासी लाखा का खेत गजनाई तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान ।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

17. नर्वदा देवी पत्नी श्री मनोहरसिंह जाति रावत निवासी गजनाई तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
18. नारायणसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह जाति रावत निवासी गजनाई तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान ।
19. निर्मला देवी पुत्री श्री शेरसिंह जाति रावत निवासी गजनाई तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान ।
20. पन्नासिंह पुत्र श्री घीसासिंह जाति रावत निवासी लाखा का खेत गजनाई तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
21. प्रवीण कुमारी पत्नी श्री नरपतसिंह जाति रावत निवासी गजनाई तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान ।
22. प्रवीणसिंह पुत्र श्री शेरसिंह जाति रावत निवासी गजनाई तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
23. पानी देवी पत्नी श्री ढगलाराम जी जाति सीरवी निवासी सारंगवास तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
24. बाबुसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह जाति रावत निवासी गजनाई तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
25. बाबुसिंह पुत्र श्री देवीसिंह जाति रावत निवासी गजनाई तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
26. भगवानसिंह पुत्र श्री डाउसिंह जाति रावत निवासी दादी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
27. भंवरसिंह पुत्र नाथुसिंह जाति रावत निवासी दादी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान
28. मंगलसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह जाति रावत निवासी दादी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
29. मदनलाल पुत्र श्री ढगलाराम जाति सीरवी निवासी सारंगवास तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान ।
30. मुमो देवी पत्नी श्री देवीसिहं जाति रावत निवासी गजनाई तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
31. मानी देवी पत्नी श्री नाथुसिंह जाति रावत निवासी दादी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
32. मोहनसिंह पुत्र श्री भीमसिंह जाति रावत निवासी गजनाई तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
33. रतनसिंह पुत्र श्री नाथुसिंह जाति रावत निवासी दादी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
34. शांति पुत्री श्री लक्ष्मणसिंह जाति रावत निवासी गजनाई तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
35. संतोष पुत्री लक्ष्मणसिंह जाति रावत निवासी

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

गजनाई तह0 सोजत जिला पाली।

36. सुशीला देवी पुत्री दगलाराम जाति सीरवी निवासी सारंगवास तह0 सोजत जिला पाली।

37. सीता पुत्री लक्ष्मणसिंह जाति रावत निवासी गजनाई तह0 सोजत जिला पाली राज0।

38. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:–

1. **श्री गोविन्द प्रसाद अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।**
2. **श्री धर्मीचंद देवासी अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।**

दिनांक :–13/02/2025

–: निर्णय :–

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम दादी पटवार हल्का गुड़ा रामसिंह, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ा कलां तहसील सोजत के प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 375 रकबा 1.4000 है0 में पंहुच हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 389 रकबा 0.5600 है0 मे से आवागमन हेतु 30 फुट चौड़ा रास्ता प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी हैं। प्रार्थी के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये उक्त कदीमी रास्ता जो सरहद मौजा दादी के खसरा नंबर 389 में से दिलाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 01 से 04 तथा 06 से 38 को बावजूद सूचना/तामिली अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं0 05 को पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/रीडर/2024/1234 दिनांक 28.08.2024 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 गुड़ा कलां, द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया** कि सरहद मौजा दादी के ख0नं0 468 किस्म गै0मु0 रास्ता सिवायचक के समीप

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

लाल स्याही से दर्ज 'ए' बिन्दु से लाल स्याही से दर्शित स्थान पर मौके पर रास्ता चल रहा है, जो नक्शे में दर्ज नहीं हैं। ख0नं0 468 किस्म गै0मु0 रास्ते से हरे रंग से दर्शित स्थान ख.नं. 375 में पहुंचने हेतु सबसे निकटतम दूरी हैं। प्रस्तावित रास्ता जिसकी लम्बाई × चौड़ाई, 228 मीटर × 4 मीटर = 0.0912 है0 हैं। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 173972/- रूपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार (173972/-रू0 × 2 × 0.0912 है0 = 31732.5/- रूपये बनते है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा संलग्न उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा/हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता ख0न0 389 में से मौका फर्द में हरे रंग स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत गुड़ा कलां की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा हरे स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा ग्राम दादी के खसरा नम्बर 375 कृषि भूमि में आवागमन हेतु 30 फुट चौड़ा रास्ता खसरा नंबर 389 में से उसकी माठ के सहारे सहारे दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 05 ने निवेदन किया कि प्रार्थीत भूमि में आवागमन हेतु रास्ता पटवारी हल्का रिपोर्ट में बिन्दु 'ए' द्वारा लाल स्याही से दर्शित किया गया है, जो मौके पर आवागमन हेतु रास्ता के रूप में उपयोग में लिया जा रहा हैं। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कतई रास्ते की आवश्यकता नहीं हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 गुड़ा कलां, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, जबकि निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 389 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा राशि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर०टी०एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि सरहद मौजा ग्राम दादी पटवार हल्का गुड़ा रामसिंह, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ा कलां तहसील सोजत के प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 375 रकबा 1.4000 है० किस्म बा०अ० में पंहुच हेतु अप्रार्थीगण खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 389 रकबा 0.5600 है० कृषि भूमि में से सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि में से (173972/-रू० × 2 × 0.0912 है० = 31732.5/- रूपये उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी०एल०सी० की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

क्र० सं०	ख०नं० व किस्म	कुल रकबा (है०) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है० में	प्रतिकर की राशि रूपये में (डीएलसी की दौगुना)
01.	389 बा० दो०	0.5600 है०	अन्तरकंवर पत्नि नारायणसिंह हि० 1/12 जाति-राजपुत सा० कनवेरात देवगढ़ हाल बड़ा गुड़ा खातेदार	228 मी०× 4 मी० = 0.0912 है०	2644.37 /-रू
02.			अशोकसिंह पुत्र डाऊसिंह हिस्सा- 1/18 जाति रावत सा०देह खातेदार		1762.91 /-रू
03.			इन्द्रादेवी पत्नि शेरसिंह हिस्सा-1/240 जाति रावत सा० गजनाई खातेदार		132.21 /-रू
04.			इन्द्रादेवी पुत्री ढगलाराम हिस्सा 1/72 जाति सिरवी सा० सांरगवास खातेदार		440.72 /-रू
05.			ईश्वरसिंह पुत्र डाऊसिंह हिस्सा 1/18 जाति- रावत देह खातेदार		1762.91 /-रू
06.			कंचनदेवी पुत्री शेरसिंह हिस्सा 1/240 जाति रावत सा० गजनाई खातेदार		132.21 /-रू
07.			कानसिंह पुत्र नाथुसिंह हिस्सा 1/40 जाति रावत सा. देह खातेदार		793.31 /-रू

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

08.			खुमसिंह पुत्र नाथुसिंह हिस्सा 1/40 जाति रावत सा. देह खातेदार		793.31 /-रू
09.			चम्पादेवी पुत्री डगलाराम हिस्सा 1/72 जाति सिरवी सा. सारंगवास खातेदार		440.72 /-रू
10.			चौहान मीश्रासिंह पुत्र भूरसिंह हिस्सा 1/160 जाति रावत सा. लाखा का खेत गजनाई खातेदार		198.32 /-रू
11.			चौहान सोहनसिंह पुत्र भूरसिंह हिस्सा 1/160 जाति रावत सा० लाखा का खेत गजनाई खातेदार		198.32 /-रू
12.			जगदीश पुत्र ढगलाराम हिस्सा 1/72 जाति– सिरवी सा. सारंगवास खातेदार		440.72 /-रू
13.			जेठसिंह पुत्र रुपसिंह हिस्सा 1/12 जाति रावत सा. गजनाई खातेदार		2644.37 /-रू
14.			जमकुदेवी पत्नि लक्ष्मणसिंह हिस्सा 1/72 जाति– रावत सा. गजनाई खातेदार		440.72 /-रू
15.			नरेन्द्रसिंह पुत्र शेरसिंह हिस्सा 1/240 जाति रावत सा. गजनाई खातेदार		132.21 /-रू
16.			नरेन्द्रसिंह चौहान पुत्र पुनमसिंह चौहान हिस्सा 1/160 जाति– रावत सा. लाखा का खेत गजनाई खातेदार		198.32 /-रू
17.			नर्बदादेवी पत्नि मनोहरसिंह हिस्सा 1/48 जाति रावत सा. गजनाई खातेदार		661.09 /-रू
18.			नारायणसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह हिस्सा 1/72 जाति– रावत सा. गजनाई खातेदार		440.72 /-रू
19.			निर्मलादेवी पुत्री शेरसिंह हिस्सा– 1/240 जाति– रावत सा: गजनाई खातेदार		132.21 /-रू
20.			पन्नासिंह पुत्र घीसासिंह हिस्सा 1/160 जाति– रावत सा. लाखा का खेत गजनाई खातेदार		198.32 /-रू
21.			प्रविणकुमारी पत्नि नरपतसिंह हिस्सा 1/48 जाति रावत सा. गजनाई खातेदार		661.09 /-रू
22.			प्रवीणसिंह पुत्र शेरसिंह हिस्सा 1/240 जाति– रावत सा. गजनाई खातेदार		132.21 /-रू
23.			पानी देवी पत्नि ढगलाराम हिस्सा 7/72 जाति– सिरवी सा. सारंगवास खातेदार		3085.10 /-रू

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

24.			बाबुसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह हिस्सा 1/72 जाति– रावत सा. गजनाई खातेदार		440.72 /–रू
25.			बाबुसिंह पुत्र देविसिंह हिस्सा 1/96 जाति– रावत सा. गजनाई खातेदार		330.54 /–रू
26.			भगवानसिंह पुत्र डाऊसिंह हिस्सा 1/18 जाति– रावत सा. देह खातेदार		1762.91 /–रू
27.			भंवरसिंह पुत्र नाथुसिंह हिस्सा 1/30 जाति– रावत सा. देह खातेदार		1057.75 /–रू
28.			मंगलसिंह पुत्र प्रेमसिंह हिस्सा 1/12 जाति– रावत सा. देह खातेदार		2644.37 /–रू
29.			मदनलाल पुत्र ढगलाराम हिस्सा 1/72 जाति– सिरवी सा. सारंगवास खातेदार		440.72 /–रू
30.			मुमोदेवी पत्नि देवीसिंह हिस्सा 1/96 जाति– रावत सा. गजनाई खातेदार		330.54 /–रू
31.			मानीदेवी पत्नि नाथुसिंह हिस्सा 1/30 जाति– रावत सा. देह खातेदार		1057.75 /–रू
32.			मोहनसिंह पत्र भीमसिंह हिस्सा 1/12 जाति रावत सा. गजनाई खातेदार		2644.37 /–रू
33.			रतनसिंह पुत्र नाथुसिंह हिस्सा 1/40 जाति रावत सा. देह खातेदार		793.31 /–रू
34.			शान्ति पुत्री लक्ष्मणसिंह हिस्सा 1/72 जाति– रावत सा. गजनाई खातेदार		440.72 /–रू
35.			सन्तोष पुत्री लक्ष्मणसिंह हिस्सा 1/72 जाति– रावत सा. गजनाई खातेदार		440.72 /–रू
36.			सुशीलादेवी पुत्री ढगलाराम हिस्सा 1/72 जाति– सिरवी सा. सारंगवास खातेदार		440.72 /–रू
37.			सीता पुत्री लक्ष्मणसिंह हिस्सा 1/72 जाति– रावत सा. गजनाई खातेदार,		440.72 /–रू

उपखण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 13/02/2025 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत